न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 29/2019

प्रविष्टि दिनांक 09.08.2019

रामरतन पुत्र औंकार जाति गुर्जर निवासी बगडी तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार टोडारायसिंह जिला–टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिंह दिनांक 25.07.2019 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री अशोक कासलीवाल, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 14.02.2020**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिंह ने अपने आदेश दिनांक 25.07.2019 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 401 व 402 कुल रकबा 1.91 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम औझापुरा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर तीन माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोडारायसिंह के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अपीलांट को साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने का भी अवसर नही दिया है। अपीलांट द्वारा कोई अतिक्रमण नही किया है और ना ही कब्जा किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई सक्षम साक्ष्य प्रदर्शित नही करवायी गई है,जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलांट ने उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व मे बेदखली बाबत कोई दस्तावेज या निर्णय पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत कर प्रदर्शित नही करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नही आता है,क्योकि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय का एक निर्धारित प्रोफार्म तैयार कर उसी पर आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नही मंगवाई और न ही

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

मौके का निरीक्षण किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्व गलत रिपोर्ट पेश की है। अपीलांट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उक्त आराजी से मेरा कोई संबंध नही है। उक्त वर्णित भूमि पर मेरा कब्जा रहा है जिसमे कोई कच्चा/पक्का निर्माण नही हो रखा है। मै उक्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड रहा हू तथा अब मे इस भूमि पर कोई अतिक्रमण नही करूंगा और भविष्य मे ना ही ऐसी कोई अतिक्रमण की भावना रखूंगा। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील नही हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 401 रकबा 0.75 है0 व खसरा नम्बर 402 रकबा 1.16 है0 किस्म चरागाह भूमि वाके ग्राम औझापुरा तहसील टोडारायसिंह पर तिल की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 332 निर्णय दिंनाक 24.10.2018 से बेदखल किया गया है।

तहसीलदार टोडारायसिंह ने पत्र क्रमांक 1274 दिनांक 24.12.2019 से अवगत कराया है कि उक्त खसरा नम्बर पर रामरतन पुत्र औकार जाति गुर्जर निवासी बगडी ने वर्तमान मे सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण लगातार बनाये हुए है। अपीलांट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उक्त आराजी से मेरा कोई संबंध नही है। उक्त वर्णित भूमि पर मेरा कब्जा रहा है जिसमे कोई कच्चा/पक्का निर्माण नही हो रखा है। मै उक्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड रहा हू तथा अब मे इस भूमि पर कोई अतिक्रमण नही करूंगा और भविष्य मे ना ही ऐसी कोई अतिक्रमण की भावना रखूंगा। इस प्रकार अपीलांट का हल्पनामा वस्तुस्थित के विपरीत पाये जाने से स्वीकार योग्य नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.07.2019 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.07.07 13:49:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: